

उत्तर प्रदेश सरकार  
लोक निर्माण अनुभाग-4  
संख्या-188/23-4-92-158एनजी/87  
तख्तः दिनांक 2 जुलाई, 1992

अधि-सूचना

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए

राज्यपाल महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक।कम्प्यूटर। सेवा नियमावली, 1968  
के नियम-5 के स्थान पर निम्नवत् संशोधन करते हैं :-

नियम-5 का संशोधन

"सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा नियमावली, 1968 में, जिसे आगे  
उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-5 के  
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।"

भाग-3 भर्ती

स्तम्भ-2

रक्षणाय प्रतिस्थापित नियम

भर्ती के स्रोत-5

स्तम्भ-1  
वर्तमान नियम

सेवा में भर्ती

- 111 भाग-5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खीची भर्ती द्वारा, या
- 121 इस नियमावली के भाग-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा,  
प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य अभियन्ता स्रोत का निश्चय करेंगे, जिसे भर्ती ऐसे प्रकार से ही जायेगी कि यथासम्भव, सेवा के तंत्र के 20 प्रतिशत पद उपर 121 में निर्दिष्ट होंगे से भरे जायें।

सेवा में भर्ती

- 111 भाग-5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खीची भर्ती द्वारा, या
- 121 इस नियमावली के भाग-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।  
प्रतिबन्ध यह है कि प्रमुख अभियन्ता स्रोत का निश्चय करेंगे, जिसे भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथासम्भव सेवा के तंत्र के 50 प्रतिशत पद उपर 121 में निर्दिष्ट होंगे से भरे जायेगे।

आज्ञा से,

कमल कान्त जैतवाल,  
सचिव।